कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

क्रमांकः– काईन हाउस / 2025–26 / 02

दिनांकः– 17/9/25

ई–निविदा सूचना संख्या 02 / 2025–26

नगर निगम उदयपुर के काईन हाउस एवं नन्दी शाला में निराश्रित गौवंश को चारा (हरा,सूखा,खाखला,कुट्टी,रजका) सप्लाई करना एवं खिलाना, गौवंश के लिए पानी की व्यवस्था करना, काईन हाउस का सम्पूर्ण रख–रखाव,एवं सफाई करना, गौवंश का प्राथमिक उपचार करना इत्यादि के कार्य हेतु ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदा दिनांक 18/09/25 से दिनांक 29/09/25 तक आमंत्रित की जाकर दिनांक 01/10/25 को खोली जायेगी। कार्य की प्री–बीड मिटिगं दिनांक 23.09.2025 को निगम में प्रात 11.00 बजे आयोजित की गई है। कार्य की अनुमानित लागत एक वर्ष हेतू 240.00 लाख रू है। बीड से संबंधित विवरण इंटरनेट साईट sppp.rajasthan.gov.in & www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

UBN :-..

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

प्रतिलिपिः–

प्रबन्ध निदेशक राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन :–

1. एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में एवं अखिल भारतीय अंग्रजी दैनिक समाचार पत्र में नियम अनुसार प्रकाशित कराने का श्रम करावे। तथा e-mail ID : civilmcuudr4@gmail.com पर समाचार पत्रों के इन्टीमेशन ई–मेल कराने का श्रम करावे।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. **UBN No.**

आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

C:\Users\hp\Desktop\cattle house New.docx

Scanned with OKEN Scanner

(वेबसाईड पर अपलोड़ करने बाबत)

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

(ई निविदा सूचना संख्या 02/2025–26, दिनांक 17/9/25 के अन्तर्गत)

ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित कि जाती है :–

क्र	कार्य का विवरण	अनुमानित व्यय	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	MD RISL, Jaipur प्रोसेसिगं शुल्क
1.	नगर निगम उदयपुर के काईन हाउस एवं नन्दी शाला में निराश्रित गौवंश को चारा (हरा, सूखा, खाखला, कुट्टी,रजका) सप्लाई करना एवं खिलाना, गौवंश के लिए पानी की व्यवस्था करना, काईन हाउस का सम्पूर्ण रख–रखाव, एवं सफाई करना, गौवंश का प्राथमिक उपचार करना इत्यादि के कार्य हेतु। कार्य अवधि एक वर्ष	240.00 लाख	4,80,000	5,000/– (Online/ NEFT, RTGS द्वारा जमा करावें)	2,000/– (Online/ NEFT, RTGS द्वारा जमा करावें)

अ. सामान्य :–

1. किसी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

ऑन लाईन EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने का प्रोसेस :–

2. निविदा प्रपत्र अनुसार **EMD, Tender Fee & Processing Fee** निर्धारित दिनांक एवं समय तक निगम वेब साईट **http://www.udaipurmc.org** पर **E-Tender** में जाकर **Online** जमा कराकर प्राप्ति रसीद वेब साईट **www.eproc.rajasthan.gov.in** पर जमा कराये जाने वाले दस्तावेजो के साथ अटेच करनी होगी।

अथवा

EMD, Tender Fee & Processing Fee निगम के उक्त खाते में **NEFT/RTGS** भी करायी जा सकती है जिसकी रसीद निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। खाते का विवरण निम्नलिखित है :–

Name of A/c Holder	:	**Commissioner Nagar Nigam, Udaipur**
A/c No.	:	**693301700675**
IFSC Code	:	**ICIC0006933**
Bank Name	:	**ICICI Bank, Bapu Bazar, Bank Tiraha Udaipur**

ब. बिडिंग डाक्यूमेंट :–

1. निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट से दिनांक 18/9/25 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 29/9/25 को सायं 6.55 बजे तक निविदाओं को इलेक्ट्रोनिक फोर्मेट में वेब साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करायें।

(अ) निविदा प्रपत्र को इलेक्ट्रोनिक फोर्मेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 29/9/25 को सांय 6.55 बजे तक जमा कराये जा सकते है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 01/10/25 को दोपहर 11.00 बजे तकनिकी बीड खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।

(ब) निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।

(स) उक्त निविदा की प्री–बिड मीटिंग दिनांक 23.09.2025 को अधीक्षण अभियंता के कक्ष में प्रात 11.00 बजे आयोजित होगी जिसमें उक्त निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक निविदादाता लिखित में अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते है

C:\Users\hp\Desktop\cattle house New.docx

Scanned with OKEN Scanner

2. (अ) निविदा प्रपत्र को वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in or sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित है। निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड (Download) कर सकते है।

(ब) तकनिकी निविदा में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा –पत्र इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर आयुक्त नगर निगम, उदयपुर के कार्यालय में खोली जावेगी। जिसके लिए समय एवं दिनांक सफल निविदादाताओं को सूचित कर दिया जायेगा।

3. ई–टेन्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :–

अ. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।

ब. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट – 2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आएगा।

स. निविदादाओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट व डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

द. ऑनलाईन निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या 2 (अ) के अनुसार खोली जावेगी।

य. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्र में संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गई है।

र. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोनिकी जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

ल. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।

4. अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।
5. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृत हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. यदि नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बन्धित कार्यालय में लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसे कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
7. इस निविदा के अन्तर्गत यदि कोई आवश्यक संशोधन हुआ तो उसे वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जावेगा। जिसका अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
8. निविदादाता को बीड डॉक्युमेन्ट ऑनलाईन डाउनलॉड करने होंगे। (ऑनलाईन ही अपलोड करने होंगे) निविदा शुल्क एवं निविदा प्रोसेस शुल्क का रिफण्ड क्लेम नहीं किया जायेगा।
9. कार्य कि अवधि एक वर्ष होगी जो कार्यादेश में अंकित दिनांक से प्रारम्भ होगी।
10. <u>बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि</u> :– साधारणतयाः 90 (नब्बे) दिन होगी।
11. <u>विलम्ब से प्राप्त बोलियां</u> :– बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।
12. <u>किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार</u> :– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्त्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के

Scanned with OKEN Scanner

अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।

13. परिमाण में परिवर्तन का अधिकार :– (1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

14. कार्य सम्पादन प्रतिभूति :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि कार्यादेश राशि कि 5 प्रतिशत होगी जो अनुबंध निष्पादन के समय जमा करानी होगी। जो कार्य समाप्ति पर बिना ब्याज के पुनः लौटा दी जायेगी।

15. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में जब्त कर दी जाएगी, अर्थात् :–

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

16. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है, या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है तो यह राशि 6 माह पश्चात लौटाई जावेगी।

17. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात् :–

(1) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के आवसान पर।

(2) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर।

(3) उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर

(4) बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय – सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

18. करार का निष्पादन :–

(1) कोई उपापनी संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहा बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संदिदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कारवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

Scanned with OKEN Scanner

(4) बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

19. **परिमाण में परिवर्तन का अधिकार :–**

(1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेगें यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रुप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होगी :–

(क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

20. **बोली दस्तावजों में परिवर्तन :–** बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय–सीमा से पूर्व भी समय उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामस्वरुप धारा 23 के उपबंधों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपांतरित कर सकेगी।

21. **बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि :–** (1) बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान विधिमान्य रहेगी। यह कालावधि सामान्यतया नब्बे दिनों से अधिक नहीं होनी चाहियें किन्तु उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है। लघुतर कालावधि के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी के रुप में उपापन संस्था द्वारा अस्वीकार की जायेगी।

(2) बोलियों की विधिमान्यतया की कालावधि के अवासन के पूर्व उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए बोली की विधिमान्यतया की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृति बोली प्रत्याहरण के रुप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति समपहत की जायेगी।

(3) ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यतया की कालावधि के विस्तार से सहमत होते है उनके द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूतियों की विधिमान्यतया की कालावधि का विस्तार करेंगें या विस्तार करायेगें या उनकी बोली की विधिमान्यतया की विस्तारित कालावधि को आवृत करने के लिए नयी बोली प्रतिभूतियां प्रस्तुत करेंगें। कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जाती है या जिसने नयी बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है, इसे उसकी बोली की विधिमान्यतया की कालावधि के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना माना जायेगा।

22. **जुर्माना :–** बोली लगाने वाला करार निष्पादन के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने के पश्चात् अगर कार्य नहीं करता है या कार्य अधुरा छोड़ता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकेगी तथा नगर निगम से 3 वर्षो के लिए फर्म को ब्लेक लिस्टेड किया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी बीडर स्वयं की होगी।

23. किसी परिस्थिति में सफल बीडर द्वारा किया गया कार्य सन्तोष प्रद नही होने पर निगम द्वारा निविदा में द्वितिय न्युनतम प्राप्त फर्म के साथ अनुबन्ध कर उक्त कार्य द्वितिय न्युनतम फर्म को दे दिया जायेगा। इसका अधिकार निगम के आयुक्त/महापौर के पास सुरक्षित रहेंगा।

24. वीडर की कोई भी सशर्त बीड मान्य नहीं होगी।

25. सभी विवादों का न्यायायिक क्षेत्र उदयपुर ही रहेगा।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

(ई निविदा सूचना संख्या 02/2025–26, दिनांक 17/9/25 के अन्तर्गत)

तकनिकी निविदा प्रपत्र

क्र. स.	तकनिकी निविदा में ऑनलाईन संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण	संलग्न हां/नहीं	पृष्ठ संख्या अंकित करें
1.	2.	3.	4.
1.	बोली प्रतिभूति		
2.	निविदा शुल्क		
3.	M.D.R.I.S.L, Jaipur प्रोसेसिगं फीस		
4.	आयकर (पेन.न.)		
5.	निविदादाता फर्म/संस्था/कम्पनी होने की स्थिति में उनके लिये राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र		
6.	निविदादाता के कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (EPF) के अन्तर्गत जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र		
7.	निविदादाता को राज्य बीमा अधिनियम (ESIC) के अन्तर्गत जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र		
8.	निविदादाता को ब्लेक लिस्ट नहीं होने का 50 रूपये का शपथ–पत्र मय नोटरी कराकर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।		
9.	गौवंश की देखरेख एवं सार सम्भाल करने का अनुभव होतो अनुभव प्रमाण पत्र सलग्न करावे चंकि समान न्युनतम दर प्राप्त होने पर अधिक अनुभवी फर्म को कार्यादेश प्रदान किया जायेगा		

तकनिकी निविदा प्रपत्र में वर्णित क्रम संख्या 01 से 08 तक की सूचना/दस्तावेज संलग्न अनिवार्य है इसके अभाव में संवेदक को तकनिकी निविदा में अपात्र घोषित किया जायेगा तथा उसकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी। निविदादाता को ब्लेक लिस्ट नहीं होने का 50 रूपये का शपथ–पत्र मय नोटरी कराकर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करना होगा एवं उक्त शपथ पत्र Bid Submission की अंतिम दिनांक के पश्चात् आगामी कार्य दिवस पर कार्यालय में जमा कराना होगा। अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

बीडर के हस्ताक्षर
मय सील

C:\Users\hp\Desktop\cattle house New.docx

कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

नगर निगम उदयपुर द्वारा संचालित काईन हाउस एवं नन्दी शाला के संचालन एवं रख–रखाव कार्य हेतु अनुबन्ध पर दिये जाने की शर्ते :–

1. नगर निगम, उदयपुर द्वारा संचालित काईन हाउस तितरड़ी में एवं नन्दीशाला चौकड़िया (नाई) में संचालित है। सभी इच्छुक संवेदकों से यह अपेक्षा की जाती है कि दोनो स्थानों का स्वंय के स्तर पर निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन उपरान्त ही अपनी दर प्रस्तुत करावें।
2. ऑनलाईन निविदा काईन हाउस एवं नन्दीशाला में रहने वाले पशुओं की समस्त व्यवस्था (संचालन एवं संधारण) यथा हरा चारा/सुखा चारा पशुओ को खिलाना, पशुओ के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, गौबर एवं घास–फूस हटाकर अन्य स्थान पर एकत्रित कर स्वंय के साधन/व्यय से निस्तारण करना, सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था करना, आवश्यकता होने पर पशुओं के प्राथमिक उपचार की उचित व्यवस्था करना
3. कार्य कि अवधि एक वर्ष होगी जो कार्यादेश में अंकित दिनांक से प्रारम्भ होगी। आपसी सहमति एवं नियमों के अनुसार इसमें वृद्धि की जा सकेगी।
4. वर्तमान में काईन हाऊस एवं नन्दी शाला में 3 वर्ष से अधिक आयु के पशुओ की संख्या 320 है एवं 3 वर्ष से कम आयु के पशुओं कि संख्या 470 है। पशुओं कि संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। काईन हाउस एवं नन्दीशाला में प्रतिदिन रहे वास्तविक पशुओ कि संख्या के आधार पर भुगतान किया जायेगा। संवेदक पशुओं कि संख्या को कार्यरत निगम कर्मचारी/निरीक्षक द्वारा प्रतिदिन प्रमाणित करा कर माह के अंत में प्रभारी अधिकारी से प्रमाणित करवाकर बिल भुगतान हेतू प्रस्तुत करेगा।
5. संस्था/एजेन्सी को निगम के काईन हाऊस एवं नन्दी शाला में रखे गये पशुओं के लिए सभी व्यवस्था यथा हरा चारा, सुखा चारा, पीने के पानी की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार, सफाई, सडे गले चारे एवं गोबर के निस्तारण पर्याप्त मात्रा में श्रमिक एवं संसाधन लगा कर करना होगा। इसमें लगने वाला समस्त व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।
6. संस्था/एजेन्सी को उक्त काईन हाऊस एवं नन्दी शाला से प्रतिदिन पशुओं के गोबर/सड़ी गली घास उठाकर निर्धारित स्थान पर एकत्रित करनी होगी। एकत्रित कचरे/सड़ी गली घास/गोबर का निस्तारण/विक्रय, संवदेक फर्म द्वारा किया जावेगा। संवेदक यदि चाहे तो सीमित स्थान पर वर्मी कम्पोस्ट अथवा गोबर कास्ट का निर्माण कर सकेगा लेकिन इस उदेश्य के लिए बनाये गये बेड/मशीनरी ठेका समाप्त होने पर यथास्थिति निगम को निशुल्क हस्तान्तरित करनी पडेगी।
7. निगम को आवश्कता होने पर संवेदक द्वारा अधिकतम 100 टन गोबर प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना होगा जिसके लिए निगम द्वारा किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. संस्था/एजेन्सी को काईन हाउस एवं नन्दी शाला में पशुओं को चारा खिलाने, पानी पिलाने, सफाई व्यवस्था करने के लिए रात–दिन पूरे समय के लिए पूर्ण रूप से पर्याप्त श्रमिक एवं आवश्यकतानुसार मशीनरी यथा जेसीबी, ट्रेक्टर ट्रोली आदि रखने होगें एवं उपरोक्त बताये गये कार्य कार्यरत श्रमिक से समय पर कराने होंगे। संस्था/एजेन्सी पूर्ण स्वस्थ श्रमिक को ही कार्य पर रखेगा एवं किसी भी प्रकार से बीमार एवं अशक्त व्यक्ति को ड्यूटी पर नहीं रखेगा। कार्य के दौरान श्रमिक किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेगा । नशे की स्थिति में पाये जाने पर कार्यवाही कि जिम्मेदारी संवेदक की होगी। कार्य के दौरान श्रमिक के किसी भी प्रकार से चोटिल होने अथवा बीमार होने पर उसका ईलाज संस्था/एजेन्सी को कराना होगा। निगम की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा ऐसे श्रमिक के स्थान पर संस्था/एजेन्सी को तुरन्त अन्य

Scanned with OKEN Scanner

उपयुक्त श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। काईन हाउस एवं नन्दीशाला में पर्याप्त श्रमिक 24 घंटे के लिए उपलब्ध कराना होगा।

9. काईन हाउस एवं नन्दीशाला में चौकीदारी के लिए होमगार्ड/सिक्युरिटी गार्ड की व्यवस्था निगम स्तर पर की जायेगी जिसका व्यय निगम द्वारा ही वहन किया जायेगा।

10. पशु चिकित्सक द्वारा निर्धारित कि गई मात्रा अनुसार **3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक आयु** के पशुओं को प्रतिदिन प्रति पशु 12 किलो हरा चारा व 5 किलो सुखा चारा एवं **3 वर्ष से कम आयु** के पशुओं को प्रतिदिन प्रति पशु 5 किलो हरा एवं 2 किलो सुखा चारा डालना होगा। सुखे चारे एवं हरे चारे का पर्याप्त स्टॉक संवेदक को अनिवार्य रूप से रखना होगा।

11. निगम आवश्यकतानुसार किसी भी पशुधन की नीलामी कर सकेगा पशुघन की नीलामी से प्राप्त आय निगम की होगी।

12. नया पशुधन व पुर्व में उपलब्ध पशुधन का रिकॉर्ड दैनिक पंजिका में संधारित कर पशुधन पर उसका युनिक नंबर अंकित करना होगा।

13. किसी व्यक्ति द्वारा पशु मालिक होने का दावा करने पर संस्था/एजेन्सी द्वारा निगम के काईन हाऊस एवं नन्दी शाला में नियुक्त कर्मचारी/निरीक्षकगण द्वारा नियमानुसार निगम द्वारा निर्धारित शुल्क वसूल कर जारी की गई रसीद को देखकर पशु मालिक का पशु बाहर निकाल कर सौप देगा और अन्य पशु के मामले में समय समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।

14. संस्था/एजेन्सी प्रति माह भुगतान हेतु अपना बिल कार्यरत निगम कर्मचारी/निरीक्षक द्वारा प्रमाणित करा कर प्रस्तुत करेगा।

15. संस्था/एजेन्सी उक्त काईन हाऊस एवं नन्दी शाला में निगम की बिना सक्षम स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने की इजाजत नहीं देगा।

16. अगर उक्त काईन हाऊस एवं नन्दी शाला में संस्था/एजेन्सी की लापरवाहीं से भूख एवं प्यास से किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो सम्बधित संस्था/एजेन्सी की जिम्मेदार होगी एवं निगम उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाहीं करने में स्वतंत्र होगी।

17. काईन हाऊस एवं नन्दी शाला के सम्बंध में निगम कोई भी प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी करेगी तो संस्था/एजेन्सी को उसकी पालना करनी होगी जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

18. निगम के महापौर/ प्रशासक/ आयुक्त/अधिकारी/कर्मचारी/जिलास्तरीय अधिकारी/पशु चिकित्सक कभी भी उक्त काईन हाऊस/पशुगृह का निरीक्षण कर सकेगे।

19. काईन हाऊस एवं नन्दी शाला में किसी पशु की संदेहास्पद मृत्यु हो जाने पर पोस्टमार्टम कराना आवश्यक होगा तो निगम कर्मचारी क़ी उपस्थिति में संस्था प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित रह कर स्वंय के स्तर पर पोस्टमार्टम सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा करवाना होगा।

20. किसी भी पशु की मृत्यु होने पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक (काईन हाउस एवं नन्दीशाला इन्चार्ज) को सूचित करते हुए मृत पशुओ के शव का विधि पूर्वक नियमानुसार निस्तारण संवेदक को स्वयं के खर्चे पर करना होगा। संवेदक यदि चाहे तो मृत पशु को निस्तारण के लिए निगम द्वारा अधिकृत हड्डी ठेकेदार को भी दे सकता है लेकिन मृत पशु को उठाने में किसी भी प्रकार का विलम्ब स्वीकार नहीं होगा। इसमें किसी प्रकार का व्यय होने पर संवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।

21. संस्था/एजेन्सी द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभुति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

22. संस्था/एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के स्थाई मोबाइल नम्बर एवं स्थानीय स्थाई पता तथा कार्यरत लगाये गये श्रमिक का पूर्ण पता जिसमें निवास स्थान व मोबाइल/फोन नम्बर तथा पहचान हेतु रिकार्ड उपलब्ध कराना होगा।

23. निगम के उक्त काईन हाऊस एवं नन्दी शाला में बीमार पशुओं का इलाज स्वयं के खर्चे पर करना होगा। काईन हाऊस एवं नन्दी शाला परिसर की प्रतिदिन सफाई स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।

24. समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना करना आवश्यक होगा।

C:\Users\hp\Desktop\cattle house New.docx

Scanned with OKEN Scanner

25. हरी घास/हरा रजका/हरा कुट्टी जिसमें (बाजरा, ज्वार, मक्का की)/सूखा घास/खांखला सूखा कुट्टी धर्मकांटा से तुलवा कर काईन हाऊस एवं नन्दी शाला तक पहुँचा कर गोदाम में डलवाना होगा। जिसका रिकार्ड (काटा पर्ची/खरीद बिल) भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। हरा चारा ताजा साफ–सुथारा रसदार होना चाहिये जिसमें गाजर घास, अमरबेल आदि खरपतवार मिश्रित न होना चाहिये।

26. काईन हाउस एवं नन्दी शाला में मौजूद पशुधन की प्रतिदिन गणना करवाकर निगम द्वारा अधिकृत कर्मचारी से प्रतिमाह प्रमाणित करवाकर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करना होगा। श्रम विभाग के नियमो की पालना करने एवं श्रमिको को निर्धारित मजदुरी का भुगतान करने का दायित्व संवेदक का होगा। प्रतिमाह बिलो के साथ श्रमिको हेतू जमा कराई गई पी.एफ व ईएसआई राशि की पुष्टि हेतू पी.एफ व ईएसआई के चालान प्रस्तुत करने होगें।

27. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

28. संवेदक/सप्लायर्स को नियमानुसार राशि के स्टाम्प पत्र पर अनुबन्ध का निष्पादन करना होगा।

29. न्युनतम दरदाता फर्म को कार्यादेश जारी किया जायेगा। यदि समान दरे प्राप्त होती है तो गौवंश की देखरेख एवं सार सम्भाल करने वाली अधिक अनुभवी संस्था/एजेन्सी को कार्यादेश जारी किया जायेगा ।

30. दूध पीते हुए छोटे बछड़ा/बछड़ी का भरण पोषण का भुगतान निगम द्वारा नहीं किया जायेगा। दुधारू पशु के दुध का प्रयोग बछडा/बछडी को पिलाने में ही करना होगा।

31. संस्था/एजेन्सी द्वारा निविदा शर्तो का उल्लंघन करनें पर अमानत राशि जब्त करते हुए ब्लैक लिस्ट कर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।

32. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार आयुक्त को होगा।

33. पशु वध/पशुधन हानि इत्यादि के सम्बन्ध मे पूर्ण सर्तकता एवं सावधानी रखते हुए किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो, इसकी पूर्ण सुनिश्चिता करावें।

34. संस्था/एजेन्सी को निगम द्वारा जिस स्थिति मे काईन हाउस संभलाया जायेगा एवं उसी स्थिति मे काईन हाउस को निगम को सुपूर्द करना होगा। निगम द्वारा यथा ट्यूबवेल मोटर, गेट, CCTV कैमरे इत्यादि सामान चार्ज मे दिया जायेगा उनको उसी अवस्था मे निगम को पुनः सुपूर्द करना होगा अन्यथा जमा अमानत राशि मे से निगम द्वारा नियमानुसार राशि काट ली जावेगी। इस हेतु काईन हाउस में स्थित संपत्ति का हेण्ड ऑवर/टेकन ऑवर करना होगा।

35. संस्था/एजेन्सी की शर्तों/कार्य आदि किसी मामले में विवाद होने पर महापौर/आयुक्त महोदय, नगर निगम उदयपुर का निर्णय मान्य/अन्तिम होगा। किसी भी तरह के न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षैत्र उदयपुर ही रहेगा।

36. स्वीकृत दरो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। निविदादाता GST रहित एवं कार्य पर लगने वाले अन्य समस्त प्रकार के कर सहित अपनी दर प्रस्तुत करावे । यदि उक्त कार्य GST के दायरे में आता है तो निगम द्वारा उसका भुगतान पृथक से किया जायेगा।

37. काईन हाउस एवं नन्दीशाला में मुख्यतः गौ वंश ही रखे जाते है लेकिन यदि अन्य पशु (जैसे घोडा/गधा/भैस/ऊट इत्यादि) रखे जाते है तो उनका रखरखाव एवं अन्य कार्य गौ वंश हेतू निर्धारित दर से किया जायेगा।

38. पशुओ को चारा खिलाने के बाद बचा हुआ वेस्ट चारा निर्धारित स्थान पर नहीं डालने पर प्रति अवसर 20,000 रू की शास्ति आरोपित कि जावेगी। संतोषप्रद सफाई व्यवस्था नहीं होने पर प्रति दिवस राशि रूपये 50,000/– कि शास्ति आरोपित कि जावेगी एवं पशुओं को निर्देशानुसार निर्धारित मात्रा में चारा नहीं खिलाने एवं उचित देखभाल नहीं करने पर प्रति अवसर 50,000 रू कि शास्ति आरोपित कि जावेगी। मृत पशुओं का समय पर निस्तारण नहीं करने पर प्रतिअवसर 20,000 रू कि शास्ति आरोपित कि जावेगी। संवेदक का कार्य असंतोषप्रद होने पर एक महीना का नोटिस देकर कार्य सम्पादन प्रतिभुति राशि जब्त करते हुए अनुबन्ध समाप्त किये जाने का अधिकार आयुक्त महोदय के विवेकाधीन होगा।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

C:\Users\hp\Desktop\cattle house New.docx

Scanned with OKEN Scanner